न्यायालय उपजिलाधिकारी, सरधना जिला मेरठ।

वाद संख्या 30 अ0 धारा 143 ज0वि0अधि0

पंडित मलखानसिंह मैमोरियल बनाम उ0प्र0सरकार

ग्राम पनवाडी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 में पंडित मलखान सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति (एम0एस0बी0 एजूकेशनल महाविद्यालय) ग्राम भराला परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ द्वारा उपाध्यक्ष श्रीमती वर्षा भारद्वाज पत्नी सुनील कुमार निवासी ग्राम बहराला परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर आरम्भ हुई है। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि ग्राम पनवाडी की भूमि खाता संख्या 306 खसरा 562 रकबा 2.09 0हे0 लगान 98.40 रूपये सालाना में से, 5166,2/3हे0 का वह संकमणीय भूमिध. मालिक व काबिज है। उक्त गाटा आबादी से मिला हुआ है तथा मौके पर आबादी बनी हुई है। उक्त गाटा नम्बर को आबादी में प्रयोग होने के कारण आबादी घोषित की जाये। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से जांच करायी गयी।

तहसीलदार सरधना ने अपनी आख्या दिनांक 27-12-12 में उल्लेख किया है कि ग्राम पनवाडी के भूमि खाता संख्या 306 खसरा 562 रकबा 2.0990हे0 लगान 98.40 रूपये सालाना में से 0.5166,2/3हे0 का वादी संकमणीय भूमिधर दर्ज है। स्थल पर भूमि का उपयोग आबादी कार्य में हो रहा है। भूमि का उपयोग पशुपालन, कुक्कुट, पालन मतस्य पालन बागवानी में नहीं हो रहा है। मौके पर दीवार बनी है।उपरोक्त भूमि पुर्नवास पटटे की नहीं हैं अतः ज0वि0अधि0 की धारा 143 के नियम 135 के अन्तर्गत आबादी घोषित करने हेतु आख्या सस्तुति सहित प्रेषित हैं।

न्यायालय में उभय पक्षो को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में उक्त भूमि का उपयोग आबादी में होना बताया गया है तथा तहसीलदार द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति आबादी घोषित करने के लिये की गयी है। अतः तहसीलदार की आख्या स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

उपरोक्त विशलेषण अनुसार तहसीलदार की आख्या स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पनवाडी की भूमि खाता संख्या 306 खसरा 562 रकबा 2.0990हे0 लगान 98.40 रूपये सालाना में से 5.166,2/3हे0 को गैर कृषि प्रयोजन हेतु घोषित किया जाता है। परन्तु **प्रतिबन्ध यह होगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ अथवा नगर निगम से तथा अन्य किसी प्राविधान से विपरीत आदेश प्राप्त होने पर यह आदेश गैर कृषि प्रयोजन हेतु का आदेश स्वत: निरस्त समझा** जायेगा। आदेश की प्रति उपनिबन्धक सरधना को प्रेषित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक – 29-12-12

उपजिलाधिकारी
सरधना।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

उपजिलाधिकारी
सरधना।

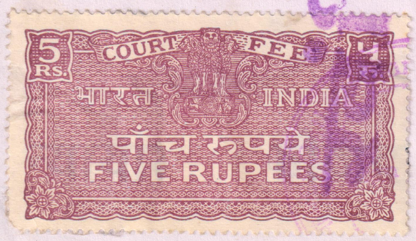

29-12-12
31-12-12
31-12-12
15-00

प्रतिलिपि सं.-5011/12-3-18
नकल - 27-10-17

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सरधना जनपद मेरठ।

वाद संख्या 38/टी-201711522043135 अर्न्तगत धारा 80 उ0प्र0रा0संहिता-2006
पं0मलखान सिंह मैमो0 **बनाम** सरकार।
ग्राम पनवाडी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अर्न्तगत धारा 80 उ0प्र0रा0संहिता पंडित मलखान सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति, बहराला(भराला) द्वारा उपाध्यक्ष श्रीमती वर्षा भारद्वाज पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी ग्राम बहराला(भराला) परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ के प्रार्थना-पत्र दिनॉक 25-03-2017 के आधार पर योजित हुआ है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि प्रार्थी भूमि खाता संख्या 317 के खसरा नम्बर 525 रकबा 1.5230हे0 में से भूमि 0.4000हे0 व खसरा नम्बर 562 रकबा 2.0900हे0 में से भूमि 0.1000हे0 कुल दो नम्बरान कुल रकबा 3.6130हे0 में से 0.5000हे0 स्थित ग्राम पनवाडी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ के मालिक काबिज व अधिकारी है। उपरोक्त भूमि कृषि, बागवानी अथवा पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से सम्बद्ध प्रयोजन में नहीं आ रही है। उक्त भूमि आबादी से मिली हुई है। जो आवासीय प्रयोजन में उपयोग की जा रही है, और उक्त भूमि की चारदिवारी बनी हुई है। उक्त भूमि में काफी समय से कृषि कार्य नहीं हो रहा है। नियमानुसार प्रार्थी की भूमि उपरोक्त में आबादी घोषित करने की कृपा करें। उक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसील सरधना से जॉच करायी गयी।

तहसीलदार सरधना ने अपनी जॉच आख्या दिनॉक 27-06-2017 में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम पनवाडी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ में स्थित भूमि के खाता संख्या 317 के खसरा नम्बर 525 रकबा 1.5230हे0 में से भूमि 0.4000हे0 व खसरा नम्बर 562 रकबा 2.0900हे0 में से भूमि 0.1000हे0 कुल दो नम्बरान कुल रकबा 3.6130हे0 में से 0.5000हे0 पर पंडित मलखान सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति, बहराला(भराला) द्वारा उपाध्यक्ष श्रीमती वर्षा भारद्वाज पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी ग्राम बहराला(भराला) परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। स्थल पर भूमि का उपयोग आबादी में हो रहा है। बन्दोबस्त में प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज की धारा 132 की भूमि नही है तथा प्रारूप नियम 135 तालिका के स्तम्भ है। प्रस्तावित भूमि नाली चकरोड की नही है। अतः उ0प्र0रा0संहिता की धारा 80 के नियम 85 के अर्न्तगत आबादी घोषित करने हेतु आख्या सस्तुति सहित प्रेषित है।

प्रथमदृष्टया उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने योग्य है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के नियम 80 सपठित नियम 85(2) के अनुसार आवेदक उद्घोषणा शुल्क की आवश्यक रकम जमा करेगा जो कि संबधित जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत अथवा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत दर के अनुसार होगा। तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या मे खाता संख्या 317 के खसरा नम्बर 525 रकबा 1.5230हे0 में से भूमि 0.4000हे0 व खसरा नम्बर 562 रकबा 2.0900हे0 में से भूमि 0.1000हे0 कुल दो नम्बरान कुल रकबा 3.6130हे0 में से 0.5000हे0 स्थित भूमि ग्राम पनवाडी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ का मूल्यांकन सर्किट रेट 27,00,000/- है जिसके अनुसार एक प्रतिशत शुल्क अर्थात् 27,000/- (सत्ताईस हजार रूपये) जिसे आवेदक से जमा कराने के उपरान्त ही भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित है। अतः उक्त घनराशि रूपये 27,000/- (सत्ताईस हजाररूपये) की धनराशि का चालान फार्म चालान संख्या 03 दिनांक 27-10-2017 प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वांछित धनराशि राजकोष में जमा करायी जा चुकी है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सरधना की आख्या दिनांक 27-06-2017 स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार की जाती है। अतः -

आदेश

ग्राम पनवाडी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ में स्थित भूमि के खाता संख्या 317 के खसरा नम्बर 525 रकबा 1.5230हे0 में से भूमि 0.4000हे0 व खसरा नम्बर 562 रकबा 2.0900हे0. में से भूमि 0.1000हे0 कुल दो नम्बरान कुल रकबा 3.6130हे0 में से 0.5000हे0 को गैर-कृषि प्रयोजन हेतु घोषित किया जाता है, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ अथवा नगर निगम से तथा अन्य किसी प्राविधान से विपरीत आदेश प्राप्त होने पर यह आदेश गैर-कृषि प्रयोजन हेतु का आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। परवाना अमलदरामद जारी किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफतर की जाय।

(राकेश कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी, सरधना।

आज दिनांक 27-10-2017 को यह आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(राकेश कुमार सिंह)

प्रतिलिपि हेतु दिये गये स्टाम्प शुल्क 13/-
प्रार्थना पत्र का दिनांक 12-3-18
प्रतिलिपि तैयार होने का दिनांक
प्रतिलिपि देने का दिनांक 14 MAR 2018

राजस्व अभिलेखपाल
कलक्ट्रेट, मेरठ।
फोटोस्टेट कापी 01
दिनांक 14 MAR 2018
दिनांक 14 MAR 2018

5 रु.
कोर्ट फी
Rs.5
COURT FEE
भारत
INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES
स्टाम्प खण्डित

1 रु.
कोर्ट फी
Re.1
COURT FEE
भारत
INDIA
एक रुपया ONE RUPEE
1 रु.
कोर्ट फी
Re.1
COURT FEE
भारत
INDIA
एक रुपया ONE RUPEE

5 रु.
कोर्ट फी
Rs.5
COURT FEE
भारत
पाँच रुपये
FIVE RUPEES
स्टाम्प खण्डित